



सत्यमेव जयते



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 461 राँची, बुधवार,

8 अक्टूबर, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

7 अक्टूबर, 2025

सं. 52/2025/एसडीआर/खंड-II। क--लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III।क, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत **10.10.2025 और 13.10.2025** को अधिसूचित किए जाने वाले बिहार विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन और 7 राज्यों के 8 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों (अनुलग्नक-1 के अनुसार) के उप निर्वाचनों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

(एस.बी. जोशी)

प्रधान सचिव

अनुलग्नक-1

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम
1.	जम्मू तथा कश्मीर	27 - बडगम
2.		77 - नगरोटा
3.	राजस्थान	193 - अंता
4.	झारखण्ड	45 - घाटशिला (अ. ज. जा.)
5.	तेलंगाना	61 - जुबली हिल्स
6.	पंजाब	21 - तरन तारन
7.	मिजोरम	2 - डम्पा (अ. ज. जा.)
8.	उड़ीसा	71 - नुवापाडा

उपरोक्त अधिसूचना को अंग्रेजी में अनुवाद सहित, झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

7th October, 2025

No. 52/2025/SDR/Vol.IIA--In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of their request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current general election to the Legislative Assembly of Bihar and bye elections to 8 Assembly Constituencies of 7 States(as per Annexure-I) scheduled to be notified on 10.10.2025 and 13.10.2025** under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order,

(S.B.JOSHI)

Principal Secretary

Annexure-1

Sl. No.	Name of State	Assembly Constituency No. & Name
1.	Jammu and Kashmir	27-Budgam
2.		77-Nagrota
3.	Rajasthan	193-Anta
4.	Jharkhand	45-Ghatsila(ST)
5.	Telangana	61-Jubilee Hills
6.	Punjab	21-Tarn Taran
7.	Mizoram	02-Dampa(ST)
8.	Odisha	71-Nuapada
